



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082026-275302
CG-DL-E-08082026-275302

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4212]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4212]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4388(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"14	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या रारा-48 [गुजरात सीमा से मुंबरा (पनवेल) और पुणे से कर्नाटक सीमा खंड को छोड़कर]; सं. 50; सं. 52 [महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा- हत्तूर और सोलापुर - धुले- सोनगिर]	महाराष्ट्र राज्य सरकार।

	- नारदाना - शिवपुर - सांगवी - महाराष्ट्र/ मध्य प्रदेश सीमा खंड को छोड़कर और वेरुल [एलोरा गुफाएं] - घृष्णेश्वर - खुलताबाद स्पर को छोड़कर]; सं. 60 [धुले - नासिक, सिन्नर - खेड खंड और खेड- नासिक फाटा खंड के किमी. 12.19 से किमी. 42.00 को छोड़कर, सं. 61 [मालशेज घाट- नेसी - अहमदनगर बाईपास (नेसी- आरण गांव- वालुंज- सरोला बही- चांद बीबी महल) खंड 140.016 कि.मी. खंड को छोड़कर और खरवंडी कसार से रारा-211 (नया रारा-52) के साथ जंक्शन के किमी 284/00 से किमी 337/00 तक को छोड़कर; सं. 63, सं. 65 [किमी 0/00 से किमी 8/800 तक और किमी 14.000 से किमी 40.000 और किमी 40/0 - किमी 340/200 तक को छोड़कर], सं. 66 [पनवेल - इंदापुर खंड के किमी 0/00 से किमी 84/00 तक को छोड़कर]; सं. 160 [सिन्नर - विलाद घाट - अहमदनगर बाईपास (विलाद घाट-एनएच-61 जंक्शन के पास नेसी) खंड तक को छोड़कर] सं. 247, सं. 266, सं. 465, सं. 543, सं. 543के, सं. 561, सं. 647, सं. 652, सं. 753, सं. 761, सं. 848 [थाणे - नासिक खंड को छोड़कर], सं. 930 [वरोरा - वानी खंड को छोड़कर और करंजी से वानी और वरोरा से चंद्रपुर खंड को भी छोड़कर], सं. 953, सं. 361एफ, सं. 130डी; सं. 150 विस्तार [शोलापुर - अक्कलकोट खंड को छोड़कर]; सं. 160ए [सिन्नर - घोटी खंड को छोड़कर], सं 160सी; सं 160डी; सं. 160एच [मालेगांव-मनमाड खंड को छोड़कर]; सं. 161ए; सं.161ई; सं. 161जी; सं. 161एच; सं. 166ए; सं. 166डी; सं. 166ई; सं. 166एफ; सं. 166जी; सं. 166एच; सं. 347ए [जाम से वारोरा खंड को छोड़कर]; सं. 353बी [तेलंगाना / महाराष्ट्र सीमा से राजुरा खंड के किमी 32/500 से किमी 89/329 तक खंड को छोड़कर]; सं. 353सी; सं. 353डी [नागपुर-उमरेद खंड और किमी.48/400 से किमी 68/500 और किमी.70/900 से किमी. 96/700 तक उमरेद -नागभीड खंड को भी छोड़कर]; सं.353ई; सं. 353आई [सेलडोह से सिंदी रेलवे स्टेशन (सिंदी ड्राई पोर्ट) के पास आरओबी के पहुंच मार्ग के प्रारंभ तक किमी 39.200 से किमी 44.600 तक के खंड को छोड़कर और जामथा-खडका-गोंडखैरी खंड (नागपुर रिंग रोड का भाग) (22.30 किमी) को भी छोड़कर]; सं. 353जे [नागपुर - कटोल खंड को छोड़कर]; सं. 353के; सं. 361बी; सं. 361सी; सं. 361एफ; सं. 361एच; सं. 461बी; सं. 547ई [गोंडखैरी- सावनेर खंड को छोड़कर]; सं. 548ए; सं. 548बी; सं. 548सी; सं. 548सीसी; सं. 548डी [तलेगांव-चाकन-शिकरापुर खंड को छोड़कर]; सं. 548डीडी [कतराज-लोनीकंद को छोड़कर]; सं. 548ई; नई रारा संख्या 548एच, सं.561ए [वालुंज (अहमदनगर बाईपास पर) - घोगरागांव- करमाला- तेंभुरनी खंड (130.080 किमी.) तक को छोड़कर]; सं. 752ई [औरंगाबाद - विदकिन - पैठान खंड को छोड़कर]; सं. 752जी [मनमाड - येवला - कोपरगांव खंड को छोड़कर]; सं. 752एच; सं. 752आई [औरंगाबाद, जालना, वातुर खंड को छोड़कर]; सं. 752के; सं. 753ए; [मलकापुर से चिखली खंड और जालना-औरंगाबाद खंड को छोड़कर]; सं. 753बी; सं. 753सी; सं. 753ई; सं. 753एफ [औरंगाबाद - नेवासा - घोडेगांव - अहमदनगर - शिरूर खंड को छोड़कर और पुणे-शिरूर खंड को छोड़कर]; सं. 753एच; सं. 753जे [नंदगांव, हिसवाल - मनमाड खंड को छोड़कर]; सं. 753एल [किमी 60.500 से किमी. 76.000 तक मुक्ताईनगर-महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश सीमा खंड को छोड़कर]; सं. 753एम; सं. 848ए; सं. 930डी [रारा-353बी के साथ जंक्शन से महाराष्ट्र / तेलंगाना सीमा के किमी 19/0 से किमी 50/808 तक को छोड़कर और वीसापुर, बल्लारपुर को बामनी खंड से जोड़ने वाले चंद्रपुर को भी छोड़कर]; सं. 965सी; सं. 965डीडी [लोनांद से सिंधेवाडी खंड को छोड़कर]; सं. 965जी [पटास - वेलापुर खंड के किमी 0/00 से किमी 137/48 तक को छोड़कर] के उतने भाग जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--	--

[फा. सं. एनएच- 14013/19/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना को का. आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 4251 (अ), दिनांकित 31 जुलाई, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4388(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"14	So much of National Highways No. NH-48 [excluding Gujarat border to Mumbra (Panvel) & Pune to Karnataka border section]; No. 50; No.52 [excluding Maharashtra / Karnataka border – Hattur and Solapur – Dhule – Songir – Nardana – Shivpur – Sangvi – MAH / MP bordersection and excluding spur from Verul [Ellora Caves] - Ghrishneswar – Khultabad]; No. 60[excluding Dhule-Nashik , Sinnar – Khed section & Khed- Nashik Phata section form km.12.19 to km. 42.00]; No. 61 [excluding Malshej Ghat - Nepti- Ahmednagar Bypass (Nepti-Arangaon- Walunj- Sarola Baddi-Chand Bibi Mahal) section 140.016 Km. & excluding Kharwandi Kasar to junction with NH-211 (New NH-52) section from Km. 284/00 to km 337/00]; No. 63; No. 65 [excluding section from Km 0/00 to Km. 8/800 & from Km. 14.000 to Km. 40.000 & Km. 40/0 – Km. 340/200]; No. 66[excluding Panvel – Indapur section from Km. 0/00 to km 84/00]; No. 160 [excluding Sinnar - Vilad Ghat – Ahmednagar Bypass (Vilsad Ghat- Nepti near junction of NH-61) section]; No. 247; No. 266; No. 465; No. 543; No. 543K; No. 561; No. 647; No. 652; No. 753; No. 761; No. 848 [excluding Thane - Nashik section]; No. 930 [excluding Warora - Wani section & also excluding Karanji to Wani and Warora to Chandrapur sections]; No. 953; No. 361F; No. 130D; No. 150 Ext [excluding Solapur – Akkalkot section]; No. 160A [excluding Sinnar – Ghoti section]; No. 160C; No. 160D; No. 160H [excluding Malegaon- Manmad section]; No. 161A; No. 161E; No. 161G; No. 161H; No. 166A; No. 166D; No. 166E; No. 166F; No. 166G; No. 166H; No. 347A [excluding Jam to Warora section] ; No. 347C; No. 353B [excluding Telangana / Maharashtra border to Rajura section from km 32/500 to km 89/329]; No. 353C; No. 353D [excluding Nagpur - Umred section & also excluding Umred - Nagbhid section from Km. 48/400 to Km. 68/500 & Km. 70/900 to Km. 96/700]; No. 353E; No. 353I [excluding Seldoh to Start of approach road of ROB near Sindi Railway Station (Sindi Dry Port) section from Km. 39.200 to Km. 44.600 and also excluding Jamtha- Khadka- Gondkhairi section (Part of Nagpur Ring Road) (22.30Km.); No. 353J [excluding Nagpur - Katol section]; No. 353K; No. 361B; No. 361C; No. 361F; No. 361H; No. 461B; No. 547E [excluding Gondkhairi – Saoner section]; No. 548A; No. 548B; No. 548C; No. 548CC; No. 548D [excluding Talegaon- Chakan- Shikrapur section]; No. 548DD [excluding Katraj-Lonikand] ; No. 548DG; No. 548E; new NH No. 548H; No. 561A [excluding Walunj (on Ahmednagar Bypass)- Ghogaragaon- Karmala- Tembhurni section (130.080 Km.); No. 752E [excluding Aurangabad – Bidkin – Paithan section]; No. 752G [excluding Manmad – Yeola - Kopargaon section]; No. 752H; No. 752I [excluding Aurangabad, Jalna, Watur section]; No. 752K; No. 753A [excluding Malkapur to Chikhli section & Jalna- Aurangabad section]; No. 753B; No. 753C; No. 753E; No. 753F [excluding Aurangabad- Newasa- Ghodegaon-Ahmendnagar- Shirur section and excluding Pune- Shirur section]; No. 753H; No. 753J; No. 753L [excluding	State Government of Maharashtra".

Muktainagar – Maharashtra/Madhya Pradesh border section from Km. 60.500 to Km. 76.000]; No. 753M; No. 848A; No. 930D [excluding junction with NH-353B to Maharashtra/Telangana border from Km. 19/0 to Km. 50/808 & also excluding Chandrapur connecting Visapur, Ballarpur to Bamni section]; No. 965C; No. 965DD [excluding Lonand to Sindhewadi section]; No. 965G [excluding Patas – Velapur section from Km. 0/00 to Km. 137/48] as are situated within the State of Maharashtra.	
--	--

[F. No. NH-14013/19/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 4251 (E), dated the 31st July, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4389(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
रारा-353डी	उमरेद-नागभीड़ खंड (महाराष्ट्र राज्य में)	किमी 48/400 से किमी 68/500 और किमी 70/900 से किमी 96/700 तक

[फा. सं. एनएच- 14013/19/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4389(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-353D	Umred- Nagbhid section (In the State of Maharashtra)	From Km. 48/400 to Km. 68/500 & From Km. 70/900 to Km. 96/700

[F. No. NH-14013/19/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.